बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक 12/अ0प्र0-02-01/2025 पटना/दिनांक-

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

निबंधित/ई-मेल

विषयः-आउटसोर्स वाहन चालकों के पारिश्रमिक का ससमय भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः-विभागीय पत्रांक-3684 दिनांक-04.07.2024 एवं महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना का पत्रांक-245/25 दिनांक-22.01.2025।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह प्रतिवेदित करते हुए कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत वाहन चालकों के मानदेय/पारिश्रमिक की राशि ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण वैधानिक कटौती यथा EPF, ESI की राशि ससमय जमा नहीं हो पाती है, जिसके परिणामस्वरूप दण्ड एवं ब्याज भरने की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, वाहन चालकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु उपलब्ध कराये जा रहे विपत्रों का भुगतान शीघ्र करने का अनुरोध किया गया है।

ज्ञातव्य है कि विभागीय पत्रांक-3684 दिनांक-04.07.2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये वाहन चालक के पारिश्रमिक का ससमय भुगतान हेतु उपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना को भेजते हुए इससे विभाग को अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्राप्त वाहन चालकों की उपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराते हुए इसकी 01 प्रति ई-मेल के माध्यम से विभाग के ई-मेल पता-lekhaprasakha@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब से उपस्थिति विवरणी भेजने के कारण वाहन चालकों के पारिश्रमिक भुगतान में विलम्ब, वैधानिक कटौती यथा EPF, ESI कटौती की राशि जमा करने में विलंब होने तथा दण्ड एवं ब्याज भरने की परिस्थिति उत्पन्न होने पर उक्त दण्ड एवं ब्याज की वसूली हेतु जिम्मेवारी तय करते हुए वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

अनु.- यथोक्त

विश्वासभाजन

13/2/25

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

Anupriya Draft Computer

P.T.O

ज्ञापांक–12/अ0प्र0–02–01/2025 1863/ग्रा पटना/दिनांक– 13.2.25
प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु:- यथोक्त

13/2/25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–12/अ0प्र0–02–01/2025 1863 पटना/दिनांक– 13.2.25
प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना को उनके प्रासंगिक पत्र–245/25 दिनांक–22.01.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

13/2/25
सरकार के संयुक्त सचिव

Anupriya Draft Computer

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

Register office: वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218
CIN: U63040BR1980SGC001486web: www.bstdc.bihar.gov.in E-mail:contactbstdc@gmail.com

BSTDC

सं०सं०—02 / 126 / वि० / स्था० / 14—15 / 245/25.

दिनांकः— 22/01/2025.

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— आउटसोर्स वाहन चालकों का पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत वाहन चालको का निगम के पत्रांक—122 / 25, दिनांक—07.01.2025 एवं पत्रांक—121 / 25, दिनांक—07.01.2025 के माध्यम से माह—सितम्बर—2024 में 47 (सैंतालीस) वाहन चालक, माह अक्टूबर—2024 में 46 (छियालीस) वाहन चालक एवं माह नवम्बर—2024 में 101 (एक सौ एक) का पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि की मॉग की गई थी, जो वर्तमान समय तक राशि अप्राप्त है। फलस्वरूप Service Provider को राशि भेज पाना संभव नही हो पा रहा है। जिसके कारण अल्पवेतनभोगी चालकों का मानदेय काफी विलम्ब से भुगतान हो रहा है।

विदित हो कि ससमय राशि प्राप्त नही होने के कारण वैधानिक कटौती की राशि यथा EPF, ESI की राशि भी ससमय जमा नही होने के कारण दण्ड एवं ब्याज भरने की परिस्थति उत्पन्न हो रही है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या—2988, दिनांक—23.03.2023 के द्वारा सभी प्राधिकार/कार्यालय को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रत्येक माह की 05वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान करना है।

अतः अनुरोध है कि निगम के पत्रांक—122 / 25, दिनांक—07.01.2025 एवं पत्रांक—121 / 25, दिनांक—07.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विपत्र का भुगतान शीघ्र करने की कृपा की जाये। ताकि वाहन चालकों का पारिश्रमिक राशि की भुगतान एवं EPF एवं ESIC की राशि संबंधित कार्यालय को ससमय जमा किया जा सके।

संयुक्त सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग
पत्र पंजी
28 JAN 2025
336
संख्या
बिहार, पटना

विश्वासभाजन

22-1-25

(चंदन चौहान)
महाप्रबंधक

URGENT

SD-12

252/SD-12
28/1/25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–12/अ0प्र0–39–01/2023 3684 /पटना, दिनांक– 04/7/24

प्रेषक

इफ्तेखार अहमद,
सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषय– संविदा पर कार्यरत वाहन चालकों का ससमय उपस्थिती विवरणी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, वीरचंद पटेल पथ, पटना के द्वारा एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये संविदा वाहन चालक का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति आपके कार्यालय में किया गया है।

विदित हो कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध कराये वाहन चालकों का प्रत्येक माह के 25 तारीख तक उपस्थिती विवरणी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वाहन चालकों का उपस्थिती विवरणी प्रत्येक माह के 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराते हुए इससे विभाग को अवगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

04/7/2024
(इफ्तेखार अहमद),
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–12/अ0प्र0–39–01/2023 3684 /पटना, दिनांक 04/7/24

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/7/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–12/अ0प्र0–39–01/2023 3684 /पटना, दिनांक 04/7/24

प्रतिलिपिः– स्थपना प्रभारी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/7/2024
सरकार के उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner